



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-31122021-232282
CG-CG-E-31122021-232282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5072]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943

No. 5072]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 23 दिसम्बर, 2021

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत सूचना

का.आ. 5478(अ).—रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना "राजनन्दगाँव-नागपुर तीसरी लाईन (228 किमी) परियोजना", भंडारा जिले के लिए, महाराष्ट्र राज्य में निष्पदान के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना " राजनन्दगाँव-नागपुर तीसरी लाईन (228किमी) परियोजना", भंडारा जिले, महाराष्ट्र राज्य के लिए, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला — भंडारा

राज्य महाराष्ट्र

सं.क.	गांव का नाम	धारक का नाम	सर्व्हे नं	भूधारण पद्धती	7/12/ समानुपात कुल क्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7
1	स्टेशनटोली	आशी चांगो वैदय, धृपती प्रभु निमकर, पार्वती सिताराम कारेमोरे, अनिल जैराम खोब्रागडे, जैराम आत्माराम खोब्रागडे	87	वर्ग 2	0.47	0.47
2	स्टेशनटोली	आशी चांगो वैदय, धृपती प्रभु निमकर, पार्वती सिताराम कारेमोरे, अनिल जैराम खोब्रागडे, जैराम आत्माराम खोब्रागडे	89	वर्ग 2	0.12	0.06
कुल —					0.59	0.53

[फा. सं. सीई/सी/एन.जी.पी/आरजेएन-केएवी तीसरी लाईन/आरओआर/एसपीएल /आरएलवाइ प्रोजेक्ट)
आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 23rd December, 2021

Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989

S.O. 5478(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project, namely "Rajnandgaon-Nagpur 3rd Line (228 KM) Project" in Bhandara District in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer, Tumsar, District Bhandara, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures for the Special Railway Project “Rajnandgaon-Nagpur 3rd Line (228 KM) Project” in Bhandara District in the State of Maharashtra

District - Bhandara

State – Maharashtra

Sr. No.	Name of the village	Name of the Land holder	Survey No.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R./sq.m.)	Acquisition area (H.R./sq.m.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Station Toli	Aashi Chango Vaidya, Ghrupati Prabhu Nimkar, Parbati Sitaram Karemore, Anil Jairam Khobragadhe, Jairam Atmaram Khobragadhe	87	Class 2	0.47	0.47
2	Station Toli	Aashi Chango Vaidya, Ghrupati Prabhu Nimkar, Parbati Sitaram Karemore, Anil Jairam Khobragadhe, Jairam Atmaram Khobragadhe	89	Class 2	0.12	0.06
Total -					0.59	0.53

[F. No. CE/C/NGP/RJN-KAV 3rd line/ROR/SPL/RLY Project]
R.N.SUNKAR, Chief Administrative Officer (Con),